न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांकः– 08-08-2022

अपील संख्या 103/20
(जीसीएमएस संख्या 2020/00112)

1. जोतराम पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मम्मडखेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर हाल चक 9 केएचएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20–06–2005
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–
1. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के आदेश दिनांक 20–06–2005 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 9 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 98/21 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु वादगत् भूमि अनकमाण्ड होने तथा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सका। अपीलांट बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु आज दिनांक को भी तैयार है तथा अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी भी इंकार नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को बकाया राशि जमा करवाने हेतु किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। वादग्रस्त भूमि आज दिनांक को भी राजस्व रिकार्ड में शुद्व रूप से आराजीराज दर्ज होकर अन्य किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है, जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट् से बकाया राशि जमा करवाते हुए वादग्रस्त भूमि अपीलांट् के नाम से पुनः बहाल की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–06–2005 के विरूद्व अपील दिनांक 19–10–20 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट् को आवंटित होने के पश्चात् बकाया राशि जमा नहीं करवाये जाने के आधार पर अपीलांट् का आवंटन विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–06–2005 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 19–10–2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष श्रेणी वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर प्रार्थना पत्र की तमाम जॉच होने के पश्चात् आवंटन का पात्र मानते हुए सलाहकार समिति की राय से दिनांक चक 9 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 98/21 की 24 बीघा 10 बिस्वा अनकमाण्ड भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन किया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया।

(3) अदालत मातहत की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित करते हुए विधिवत पट्टा जारी व कब्जा दिये जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 26–10–1999 को

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में निरस्त किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 21–04–2005 को यह अभिलिखित करते हुए कि बकाया राशि नियमानुसार 6 प्रतिशत शास्ति जरिये चालान संख्या 538–539 दिनांक 14–09–2002 जमा करवई जा चुकी है। अतः दिनांक 26–10–1999 को किश्तों के अभाव में निरस्तशुदा रकबा पुनः बहाल किया जाता है। तदुपरान्त दिनांक 20–06–2005 को पुनः अपीलांट का रकबा किश्तों के अभाव में खारिज कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को आवंटनशुदा भूमि खारिज करने से पूर्व कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। जबकि न्याय का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सूना जाना आवश्यक है।

(4) अपीलांट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार जिसमें अभिलिखित किया गया है कि जमाबन्दी संवत् 2074–77 के अनुसार आराजी जैर आज भी रिकार्ड में आराजीराज दर्ज चली आ रही है।

(5) चूंकि वर्तमान में आराजी जैर अन्य किसी को आवंटनशुदा न होकर रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् के आवंटन को कब्जे के अभाव में बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः पैरा संख्या 6 के मद संख्या 1 ता 5 में वर्णित विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़, मुकाम बीकानेर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–03–1985 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि अन्य किसी प्रयोजनार्थ आरक्षित नहीं होने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 8/8/22 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/8/22

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर